संशोधन तथा परिसीमन (Amendment and limitation)

सामान्य नियम (general rule) → इस सम्बन्ध में सामान्य नियम निर्दिष्ट करते हुए प्रिवी काउन्सिल ने कहा है कि Amendment की अनुमति नहीं दी जायेगी यदि संशोधित हक (claim) पर एक नया वाद Amendment की तिथि पर परिसीमन अवधि (limitation period) द्वारा बाधित है। प्रिवी काउन्सिल द्वारा इस तरह का मत वेल्डन बनाम नील के वाद में व्यक्त किया गया है। इस सामान्य नियम का अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। रामदयाल बनाम बृजलाल सिंह के केस में रामदयाल ने अपनी चुनाव याचिका में दो आधारों का अभिकथन किया और फिर परिसीमन अवधि बीत जाने के बाद उन्होंने एक तीसरा आधार जोड़ने के लिए Amendment का आवेदन किया, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया और Supreme Court ने भी उक्त अस्वीकृति को सही माना। इसी प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Limitation period बीत जाने के बाद संशोधन द्वारा पक्षकारों को संयोजित करने की अनुमति नहीं प्रदान की। अर्थात् उसने पक्षकारों के असंयोजन (Non-joinder of Parties) के दोष को दूर करने की अनुमति नहीं प्रदान की।

अपवाद – उपर्युक्त वर्णित सामान्य नियम कठोर एवं अनमनीय नियम नहीं है। यह सुनिश्चित है कि संशोधनों की अनुमति प्रदान करने में न्यायालय की शक्ति परिसीमा विधि (Law of limitation) से परिसीमित नहीं है न ही वह किन्हीं संकुचित या टेक्नीकल सीमाओं से बाधित है। अतः यदि केस की विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो तो limitation period बीत जाने के बाद भी Amendment की अनुमति दी जा सकती है और दी जा चुकी है। उदाहरणार्थ एल० जे० लीच एण्ड कं० लिमिटेड बनाम जारडाइन स्कीनर एण्ड कम्पनी के केस में सम्परिवर्तन (Conversion) के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद को Amendment द्वारा संविदा भंग के

P3 संशोधन तथा परिसीमन (Amendment and limitation)

कि संशोधन का आवेदन Limitation द्वारा बाधित था। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के उक्त आवेदन की अनुमति प्रदान कर दी और कहा कि परिसीमा के तर्क को ऐसी अनुमति के पश्चात् वाद बिन्दु बनाया जा सकता है।

P-1 संशोधन करने में असफलता का प्रभाव (Effect of Failure to Amendment)

आदेश 6, नियम 18 सी०पी० सी० यह व्यवस्था करता है कि यदि कोई पक्षकार, जिसने आदेश 6, नियम 17 के अन्तर्गत Amendment करने की अनुमति के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा संशोधन के लिए नियत समय के भीतर तदनुसार, या यदि उसके द्वारा कोई समय नियत नहीं किया गया है, और वह आदेश की तिथि से चौदह दिनों के भीतर संशोधन नहीं करता तो जब तक न्यायालय द्वारा समय बढ़ा न दिया गया हो, वह उस समय के बीत जाने के बाद संशोधन करने के लिए अनुज्ञात नहोगा। किन्तु इसके प्रभावस्वरूप वाद खारिज नहीं किया जायगा, न ही अभिवचन को अस्वीकृत किया जायगा, वरन उसकी सुनवाई मौलिक अभिवचन के आधार पर की जायगी। किन्तु ऐसे संशोधनों की अनुमति नहीं दी जायगी जो समय बाधित होने के साथ पक्षकारों के अधिकार प्रभावित करते हो और मौलिक अभिवचनों के विरुद्ध भी हों। इसके विपरीत संशोधन हो जाने पर मौलिक अभिवचनों की ओर कोई भी ध्यान न दिया जायेगा।

ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कन्ज्यूमर हेल्थ केयर बनाम एंकर हेल्थ एण्ड ब्यूटी केयर के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन का आदेश दिये जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि में संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाना आवश्यक है बिना किसी पर्याप्त कारण समझाये स्पष्टीकरण के उक्तदिन बाद पेश किया गया संशोधन स्वीकार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner